

कार्यालय-जिला कार्यक्रम अधिकारी, आजमगढ़।

पत्रांक

/जि0का0का0/2025-26

दिनांक 22 दिसम्बर, 2025

विज्ञापित

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार अनुभाग उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 2025/3313/58-1-2025(1917687) दिनांक 17 सितम्बर 2025 द्वारा समन्वित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की मानदेय पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण किया गया है। उक्त शासनादेश में वर्णित व्यवस्थानुसार जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनोपरान्त जनपद आजमगढ़ में पूर्व विज्ञापित पदों में रिक्त रह गये 12 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों पर के पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र विभागीय वेब साइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत है-

क्र0 स0	परियोजना का नाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	आरक्षण विवरण			
			अना0	अ0पि0व0	अनु0जाति	योग
1	शहर	02	-	-	02	02
2	गिर्जापुर	01	-	-	01	01
3	तरवा	01	-	-	01	01
5	जहानागंज	02	01	-	01	02
6	अजतमगढ़	02	01	01	-	02
7	बिलरियागंज	04	04	-	-	04
8	योग	12	06	01	05	12

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार रिक्तियों एवं आरक्षण का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्टर, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गयी है, साथ ही विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर अपलोड है।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश-

- चयन की समस्त कार्यवाही बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार अनुभाग उ0प्र0 के शासनादेश संख्या 2025/3313/58-1-2025(1917687) दिनांक 17 सितम्बर 2025 में वर्णित प्रक्रिया के अधीन होगी।
- विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगी।
- रिक्त पदों (आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों) हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी।
- आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड/ग्राम सभा का स्थायी निवासी एवं ग्राम सभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बंधित न्याय पंचायत की स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा।
- आवेदिका की आयु दिनांक 01-07-2025 को निर्धारित कट ऑफ तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विज्ञापित पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> ऑनलाइन आवेदन पर फॉर्म निर्धारित समयावधि के अन्दर ही स्वीकार्य होंगे। ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15-01-2026 मध्य रात्रि 12.00 बजे तक होगी।
- उपरोक्त विज्ञापित पदों की संख्या अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध है साथ ही अधिक जानकारी हेतु सम्बंधित विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास विभाग) कार्यालय से कार्यालय दिवस में निर्धारित समयानुसार जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- विज्ञापित पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।
- विधवा हेतु ग्रामपंचायत अधिकारी/सम्बंधित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी, तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे। गरीबी रेखा की आय सीमा का पुनर्निर्धारण समाज कल्याण अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 22/2015/2123/26-2-2015 दिनांक 14 सितम्बर 2015 (यथा संशोधित) का अनुपालन किया जायेगा। तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय, निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो। आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3959/1-9-11 राज0-9 दिनांक 30.09.2011 (यथासंशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
- उपरोक्त पदों पर भर्ती शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार तैयार की गयी मेरिट के आधार पर होगी। इसका लिये कोई लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का पद पूर्णतः मानदेय पर आधारित है जिस पर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सेवा नियमावली लागू नहीं होगी तथा शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुसार कभी भी सेवा समाप्त की जा सकती है।

27. अभ्यर्थियों को यह भी सुझाव दिया जाता है कि आवेदन करने के पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध शासनादेश एवं निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर ले जिससे किसी प्रकार की त्रुटि से बचा जा सके।
28. ऑनलाईन आवेदन में वेबसाइट पर भरी गयी सूचना ही चयन के लिये प्रयोग की जायेगी। कोई भी अभिलेख ऑफलाईन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(हेमन्त सिंह)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
आजमगढ़

पृष्ठांकन पत्र संख्या /सी० 2602 -

तद दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ०प्र० लखनऊ।
- 2-जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़।
- 3-मुख्य विकास अधिकारी महोदय आजमगढ़।
- 4-सम्बन्धित उपजिलाधिकारी जनपद आजमगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त की एक प्रति अपने कार्यालय बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
- 5-सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त की एक प्रति अपने कार्यालय बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
- 6-जिला सूचना अधिकारी आजमगढ़ को इस आशय से प्रेषित है कि जनपद आजमगढ़ के पृष्ठ पर ऑगनवाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों पर विज्ञप्ति न्यूनतम दर पर एक स्थानीय एवं एक प्रदेश स्तर के दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराने के साथ भुगतान हेतु बिल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 7-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC) आजमगढ़।
- 8-सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त रिक्त पद की एक प्रति अपने कार्यालय बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
आजमगढ़